



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272807
CG-DL-E-22052026-272807

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948

No. 350]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2026

सा.का.नि. 385(अ).— केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चलचित्र (प्रमाणन) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 में, —

(क) नियम 33 के उपनियम (2) का लोप किया जाएगा।

(ख) नियम 33 में, उपनियम (3), (4) और (5) को क्रमशः उप-नियम (2), (3) और (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

(ग) नियम 37 में, उप-नियम (3) के परंतुक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एम-11017/1/2026-डीओ (एफसी)]

अजय नागभूषण एम. एन., संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 214 (अ) तारीख 15 मार्च, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2026

G.S.R. 385(E).— In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes these rules further to amend the Cinematograph (Certification) Rules, 2024, namely:-

1. (1) These rules may be called the Cinematograph (Certification) Amendment Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Cinematograph (Certification) Rules, 2024,-
 - (a) in rule 33, sub-rule (2) shall be omitted.
 - (b) in rule 33, sub-rule (3), (4) and (5) shall be renumbered as sub-rule (2), (3) and (4), respectively.
 - (c) in rule 37, the proviso to sub-rule (3) shall be omitted.

[F. No. M-11017/1/2026-DO(FC)]

AJAY NAGABHUSHAN M.N., Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 214(E), dated the 15th March, 2024.